11/9/24 — [illegible] बार [illegible] पत्रावली [illegible]
दिनांक 12-12-24 को पेश हो।

12/12/24 पत्रावली प्रस्तुत आज [illegible] किया गया। अत: पत्रा[illegible]
दिनांक 13-3-25 को [illegible]

पत्रावली पेश हुई
राजकार्य में व्यस्त होने
दिनांक 30/10/25 को पेश हो।

30/10/25 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने पर भी वादी एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए अतः मु. वं. 21/2024 उनवान नरोत्तम शर्मा बनाम उर्मिला देवी दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अधम वैरवी अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील नं. से कम की जावद राखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।